

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर


-:: आदेश ::-

कं./क्यू/सी.जे.एम./2021

जबलपुर, दिनांक-28.09.2021


माह अक्टूबर 2021 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री अंकिता गुप्ता	01.10.2021	10	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय	21.10.2021
2	श्रीमती दीक्षा तनेजा	04.10.2021	11	श्री अरविंद सिंह	22.10.2021
3	श्री कुंवर युवराज सिंह	05.10.2021	12	श्रीमती शक्ति वर्मा	23.10.2021
4	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	07.10.2021	13	श्री देवदत्त	25.10.2021
5	सुश्री सपना कनौडिया	08.10.2021	14	श्रीमती तबस्सुम खान	26.10.2021
6	सुश्री संजना मालवीय	09.10.2021	15	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री	27.10.2021
7	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	11.10.2021	16	श्रीमती नीलिमा देवदत्त	28.10.2021
8	सुश्री वंदना सोनी	12.10.2021	17	श्री अरविंद सिंह टेकाम	29.10.2021
9	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा	20.10.2021	18	श्री सुरेश सिंह जमरा	30.10.2021


(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की. उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्रीमती साहंगी दुग्गल जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश श्रीमती साहंगी दुग्गल जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री अदिति शुक्ला जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर कक्ष की ओर सूचनार्थ ।


(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर